

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-76 मौजा खिंयाला के खाता संख्या 219 प्रदर्ष-1, कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकूलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनों तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया है। तहसीलदार डेह को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 भंवरीदेवी, छोटूदेवी, परमा, बाजूदेवी, शारदा, नरू एवं मन्जू के नाम उक्त भूमि में से कोई भूमि नहीं रखी गई है एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किय गये हैं। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश ::—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 व 2 सहदेव बिडियासर एवं चुकली देवी के सहहक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खसरा नम्बर 12/1 रकबा 0.6475 हैक्टेयर में से रकबा 0.3237 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार पश्चिमि भाग रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 3 व 4 हड़मानराम बिडियासर व भंवरीदेवी के सहहक बंट कब्जा काश्त में मौजा खिंयाला के खसरा नम्बर 12/1 रकबा 0.6475 हैक्टेयर में से रकबा 0.3238 हैक्टेयर माफिक नजरी नकशानुसार पूर्वी दिशा कि तरफ रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. 1 से 7 भंवरीदेवी, छोटूदेवी, परमा, बाजूदेवी, शारदा, नरू एवं मन्जू के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरो पर रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।
5. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 23/9/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अभिलाषा)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल